क्रमांक: 16/35/89-6 जी0एस0-II

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष ।
2. आयुक्त, अम्बाला तथा हिसार मण्डल ।
3. सभी उपायुक्त एवं उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)
4. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट, चण्डीगढ़ ।

दिनांक 7-8-89

विषय :--- सेवा अवधि के दौरान मरने/नकारा होने वाले कर्मचारियों के परिवार के आश्रित एक सदस्य को नौकरी प्रदान करने बारे ।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 16/21-3 जी0एस0-II-79 दिनांक 4-1-80 की ओर दिलाने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न विभागों द्वारा मृतकों/नाकारा कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी प्रदान करने सम्बन्धी मामले भेजते समय पूर्ण रूप से सूचना प्रदान नहीं की जाती है जिससे केसों के निपटान में विलम्ब होता है तथा मृतकों के परिवारों को अनावश्यक कठिनाई का सामना करना पड़ता है । अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि भविष्य में प्रस्ताव भेजते समय संलग्न प्रोफार्मा में पूर्ण रूप से सूचना भरकर भेजी जाये और प्रत्येक कालम में स्पष्ट रूप से सूचना दी जाये तथा अधूरी सूचना भेजने के कारण हुई देरी के लिये स्वयं विभाग उत्तरदायी होगा ।

कृपया इसे अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों/अधिकारियों के ध्यान में ला दिया जाये ।

हस्ता/---
अधीक्षक सामान्य सेवायें-II,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक-एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी वित्तायुक्तों, आयुक्त एवं सचिवों तथा सचिवों को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

हस्ता/---
अधीक्षक सामान्य सेवायें-II,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

हरियाणा सरकार के सभी वित्तायुक्त,
आयुक्त एवं सचिव तथा सचिव ।

अशा: क्रमांक: 16/35/89-6 जी0एस0-II दिनांक 7-8-89.